

डाक विभाग, भारत सरकार
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, ओडिशा परिमंडल
भुवनेश्वर-751001

सं. आरई/6-1/2019

भुवनेश्वर दिनांक 20.10.2022

सेवा में

ओडिशा परिमंडल के सभी डाकघर वरिष्ठ अधीक्षक/रेल डाक विरिष्ठ अधीक्षक/डाकघर अधीक्षक/रेल डाक अधीक्षक ।
सहायक निदेशक (स्टाफ), परिमंडल कार्यालय, भुवनेश्वर

विषय: एसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा (सीएचएसएलई), 2019 के चयनित उम्मीदवारों का ओडिशा डाक परिमंडल में डाक सहायक / छँटाई सहायक / पीए (सीओ / आरओ) और पीए (एसबी सीओ) के रूप में नियुक्ति के लिए मंडलों / इकाइयों को आवंटन ।

अनुनुबंध-1 में दिए गए विवरण के अनुसार उम्मीदवारों, जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (सीएचएसएलई)-2019 के परिणाम के आधार पर सफल हुए हैं और डाक निदेशालय द्वारा दिनांक 26.08.2022 के पत्र संख्या W-04/7 /2022-एसपीएन-1 द्वारा ओडिशा डाक परिमंडल को आवंटित किया है उन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित मंडलों / इकाइयों को पुनः आवंटित किया जाता है।

एक मंडल में रिक्ति की उपलब्धता के अधीन उम्मीदवार द्वारा वरीयता के क्रम में योग्यता के अनुसार, परिमंडल को समग्र रूप से मानते हुए, भले ही रिक्तियों की गणना मंडलवार की गई हो, डाक निदेशालय के पत्र संख्या X-12/6/2021-SPN-II दिनांक 31.12.2021 के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को मंडलों को आवंटित किया गया है, उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष में ओडिशा परिमंडल सभी डाक और छँटाई सहायकों के लिए भर्ती इकाई है और इस तरह रिक्तियों का पुनर्मूल्यांकन पूरे परिमंडल के लिए किया गया है, पूर्व में अधिसूचित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, नियम 38 तहत स्वीकृत मंडलों से/को आवक/जावक स्थानांतरण किया गया है ।

कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2(एस)/2016-स्था.(बी)(i) दिनांक 29.06.2016 और पत्र संख्या 36011/1/2012-स्था. (आरईएस) दिनांक 14.03.2016 में निहित डीओपीटी निर्देशों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।

उम्मीदवारों के निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों की अच्छी तरह से जांच की जा सकती है ।

(क) जन्म तिथि ।

(ख) महत्वपूर्ण तिथि के अनुसार आवश्यक योग्यता ।

(ग) उम्मीदवार द्वारा दावा की गई आयु में छूट, यदि कोई हो ।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / ईएसएम / पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र ।

(उँ) ओबीसी उम्मीदवारों के संबंध में, क्रीमी लेयर की स्थिति के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(च) अस्थाई आधार पर चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा जारी गैर क्रीमी लेयर स्थिति को दर्शाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता है।

(छ) जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को ओबीसी स्थिति के अलावा अन्य कारणों से अनंतिम रखा गया है, उनकी पात्रता सत्यापित की जानी चाहिए।

(ज) उम्मीदवार के परिणाम, रैंक, श्रेणी आदि को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम और संलग्न सूची से सत्यापित किया जा सकता है।

(झ) प्रवेश प्रमाण पत्र (आयोग की प्रति) पर लिए गए फोटो, हस्ताक्षर, एलटीआई और हस्तलेखन और परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्राप्त दस्तावेज को उन उम्मीदवारों के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है जो उम्मीदवार वास्तव में सेवा में शामिल होने के समय जमा कर सकते हैं।

(ञ) उम्मीदवार के डोजियर में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सभी स्तरों / चरणों), कौशल परीक्षा (यदि लागू हो) और दस्तावेज सत्यापन के समय लिए गए उम्मीदवार की तस्वीर प्रदान की गई है। इन तस्वीरों का एक दूसरे के साथ-साथ उस उम्मीदवार के साथ मिलान किया जा सकता है जिसे नियुक्ति की पेशकश की गई है।

(ट) उम्मीदवार की उम्मीदवारी में किसी भी संदेह के मामले में, उसे तुरंत आयोग को भेजा जा सकता है। मामले में, नियुक्ति का प्रस्ताव पहले ही जारी किया जा चुका है, तो मामला केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) जैसे उपयुक्त अधिकारियों को भेजा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार के मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा आदि जैसी नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं को भी पूरा किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए और जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए इंतजार न करना पड़े और साथ ही संबंधित रिक्तियों को शीघ्रता से भरा जा सके। यदि पत्र बिना सुपर्दगी लौटाए जाते हैं, तो डाक अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों वाले लिफाफों के साथ पत्र को रिकॉर्ड के लिए रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, नियुक्ति के प्रस्ताव की एक प्रति उम्मीदवारों के स्थायी पते और ई-मेल आईडी पर भेजी जानी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों के डोजियर एसएससी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तभी लौटाए जाने चाहिए जब दूसरा पत्र/मेल भी क्रमशः उत्तर नहीं दिया गया हो। यदि परिमंडल द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है, तो उसके पूरे तथ्य इस कार्यालय के साथ-साथ एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय को भी सूचित किए जाने चाहिए। नियुक्ति के व्यक्तिगत प्रस्ताव की प्रति, जब जारी की जाती है, एसएससी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संलग्न की जा सकती है।